रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2003/ज्येष्ठ 9, 1925
No. 497] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2003/JYAISTHA 9, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

का.आ. 636(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निबर्धन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में माल चढ़ाने और माल उतारने के लिए जेटी और वारवे के निर्माण की आवश्यकता पर विचार किया है

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक और लोक हित में समीचीन है ।

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ।

और, केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभियुक्ति देना लोकहित में है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 3 के, उप-पैरा (2) में, मद (ii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किए जाए,

नामतः-

(ii) पत्तनों, बन्दरगाहों और लाइटहाऊसो के परिचालनात्मक निर्माण तथा जेटी ,वारवेस क्वेस, स्लिपवेज, पाइपलाइन्स के परिचालनत्मक कार्यों और वहन प्रणाली सहित सूचना प्रणाली बशर्ते लक्षद्धीप के संघ शसित क्षेत्र में जेटी और वारके के निर्माण अथवा आधुनिकीकरण अथवा विस्तार और माल चढ़ाने और माल उतारने की सुविधाएं प्रदान करने के मामले में पर्यावरण स्वीकृति दी गई हो और केन्द्र सरकार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त अन्य एजेंसी द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर प्रवालों और संबंधित जैव-विविधता के खतरों को कम करने के लिए पर्यावरण्य सुरक्षा उपाय सुझाए जाएं,"

(ख) अनुबंध I में पैरा 6 में उप-पैरा (2) में

(i) सी आर जेड-I शीर्षक के अंतर्गत कोष्टक और अक्षर और शब्द (घ) संघशासित क्षेत्र लक्षद्धीप में जेटी वारवे के परिचलानात्मक निर्माण अथवा जेटी और वारवे के निर्माण, विकास, अथवा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार अथवा इसके द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर माल चढ़ाने अथवा माल उतारने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रवालों और संबंधित जैव विविधता के खतरे को कम करने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के सुझाव, और, (ड़)"

(ii) सी आर जेड III शीर्षक के अंतर्गत खण्ड (ii ड़) के बाद निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित किए जाए नामतः

"(ii च) संघ संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में जेटी का निर्माण और परिचालन"

(iii) सी आर जेड- iv शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षक के अंतर्गत "लक्षद्वीप और छोटे द्वीप समूह; के खण्ड (i सी) बाद निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित किया जाए, अर्थात

"(I घ) जेटी और वारवे का परिचालनात्मक निर्माण अथवा जेटी और वारवे का निर्माण केन्द्र सरकार अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर प्रवालों और संबंधित जैवविविधता के खतरों को कम करने के लिए दिए गए पर्यावरण्य सुरक्षात्मक उपायों के सुझाव पर किया जाए ।

[फा. सं. एच-11011/6/97-आई ए-III खण्ड II]

डॉ. वी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रमुख अधिसूचना, भारत के राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 1991 के संख्या ए.ओ. 114 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधत की गई ।

(i) का.आ. 595 (इ) दिनांक 18 अगस्त, 1994
(ii) का.आ. 73 (इ) दिनांक 31 जनवरी, 1997
(iii) का.आ. 494 (इ) दिनांक 9 जुलाई, 1997
(iv) का.आ. 334 (इ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998
(v) का.आ. 873 (इ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998
(vi) का.आ. 1122 (इ) दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
(vii) का.आ. 998 (इ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999
(viii) का.आ 730 (इ) दिनांक 4 अगस्त, 2000
(ix) का.आ. 900 (इ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000
(x) का.आ. 329 (इ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
(xi) का.आ. 988 (इ)दिनांक 3 अक्तुबर, 2001
(xii) का.आ. 550 (इ) दिनांक 21 मई, 2002
(xiii) का.आ. 52 (इ) दिनांक 16 जनवरी, 2003
(xiv) का.आ. 460 (इ)दिनांक 22 अप्रैल, 2003